

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
जोशधर राम पुत्र पीधालम जाति जाट का- परेकड़ी	वा म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी


राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर ~~223~~/2021 GCMS No. 2021/942

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हए
-------------	------------------------------------	--

25.11.2021

वादी श्री जोशधर राम पुत्र पीधालम  
जाति जाट निवासी परेकड़ी द्वारा आज "प्रशासन  
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेकड़ी  
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-74  
ग्राम परेकड़ी पटवार मण्डल परेकड़ी के खाता  
नम्बर 39, 83, 98, 202 में वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि  
दर्ज है, जो अशुद्ध है।  
वादी का शुद्ध नाम जोशधर राम पुत्र पीधालम  
है, तथा इसी अनुसार  
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।  
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.  
आधार नम्बर 791491136872  
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज  
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।  
इस संबंध में हल्का पटवारी परेकड़ी भू.अ.नि. सि. सि. सि.  
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट  
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं  
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।  
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार  
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये  
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर  
हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)



936-938